सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 381 / 17 **निर्णय दिनांकः 04.06.2019**

1. संगीता पत्नी मूलचन्द जाति ब्राहमण निवासी कक्कू तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. मूलचन्द पुत्र हरिराम जाति ब्राहमण निवासी कक्कू तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 19—03—2014
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री सीताराम बिश्नोई, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बज्जु के आदेश दिनांक 19—03—2014 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर विशेष आवंटन चक 6 बीएमआर के मुरब्बा नम्बर 129/35 की 25 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। अपीलांट को आवंटन पश्चात् वादगत् भूमि का कब्जा भी प्रदान कर दिया गया था। अपीलांट द्वारा आवंटन पश्चात् तमाम किश्तें भी खजानाराज में जमा करवा दी गई है। फिर भी अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज कर दिया गया। इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है।

उन्होनें आगे बताया कि विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत आदेश होने के कारण निरस्त योग्य आदेश है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश केवल मात्र तहसील की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया आदेश है। अदालत मातहत द्वारा अपने स्तर पर कोई नोटिस व सूचना अपीलांट को नहीं दी गई है। अपीलांट आज भी वादगत् भूमि की किश्तें जमा करवाने हेतु तैयार है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 19—03—2014 के विरूद्व अपील दिनांक 07—11—17 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई

संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 19—03—2014 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 07—11—2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिससे सेल रजिस्टर के अवलोकन मात्र से प्रथम दृष्टया यह साबित होता है कि आवंटी/ अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि चक 6 बीआरएम के मुरब्बा नम्बर 129/35 के बाबत् निर्धारित किश्तें 60,824/— दिनांक 30—12—2016 को जमा करवाने का उल्लेख है। इससे जाहिर है होता है कि वह समय समयपर बकाया किश्तें जमा करवाता रहा है। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा 17—12—2013 को बकाया किश्तों के लिए नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस तामीली की प्रति पत्रावली मे उपलब्ध नहीं है। आवंटन अधिकारी द्वारा नोटिस जारी नहीं किया गया तथा तहसीलदार की रिपोर्ट पर आवंटन खारिज कर दिया गया। जबकि सेल रजिस्टर की प्रविष्ठियों में लगातार किश्तें जमा हो रही है। परन्तु संबंधित अधिकारियों ने इसका रिकार्ड में अंकन नहीं किया तथा अधूरे रिकार्ड के आधार पर व आवंटी को विधिवत रूप से सुनवाई का मौका दिये बिना एकतरफा आदेश जारी करते हुए आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया गया है। प्रकरण में यदि

आवंटी/अपीलांट मौके पर काबिज है तो बकाया किश्तें ब्याज सहित एकमुश्त जमा करवाने हेतु अवसर दिया जाना चाहिए था।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश आवंटन अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बज्जु दिनांक 19—03—2014 अपास्त किया जाता है, तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट को बकाया किश्तें जमा करवाने का अवसर देकर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 04.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर